उत्तराखण्ड सरकार

ई–मेल

मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून पिन : 248001

Email: crc.ddn99@gmail.com, दूरभाषः 0135–2669415, फैक्स : 2669384

संख्याः– 3535/6–77/2018–19/ दिनांक : 25 नवम्बर, 2021.

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय– सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत सेवा **आय प्रमाण पत्र** की वैधता अवधि 06 माह के स्थान पर **01 वर्ष बढाये** जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया, उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–1449/18(1)/2021–07(6)/2019, दिनांक 21 सितम्बर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो अन्य के साथ राजस्व परिषद् व समस्त जिलाधिकारी व आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल को भी पृष्ठांकित है।

उक्त शासनादेश के द्वारा शासनादेश संख्या 1447 दिनांक 27.9.2021 को संशोधित करते हुए आय प्रमाण पत्र की वैधता प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष के लिए मान्य होने संबंधी आदेश निर्गत किये गये हैं।

2– शासन द्वारा आय प्रमाण पत्र निर्गत होने में हो रही कठिनाईयों के दृष्टिगत पूर्व निर्गत उक्त शासनादेशों के अन्तर्गत संलग्न शासनादेश संख्या 1654/18(1) 2021–07(06)/2019 दिनांक 18 नवम्बर, 2021 के द्वारा आय प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु **संशोधित** संलग्न **प्रारूप**–1 व आवेदक द्वारा स्वघोषणा संबंधी **संशोधित प्रारूप–2** के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश निर्गत गये हैं।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न **संशोधित** प्रमाण पत्र प्रारूप व आवेदन–स्वघोषणा प्रारूप अनुसार 06 माह के स्थान पर **एक वर्ष** के लिए आय प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु सम्बन्धित पदाभिहित अधिकारियों को निर्देशित किये जाने हेतु अपने स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(चन्द्रेश कुमार)
आयुक्त एवं सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव/निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को ई–डिस्ट्रिक्ट/अपणि सरकार पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
2. सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. सचिव, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, देहरादून।
4. निदेश, एन.आई. सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
6. उप राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद् को विभागीय **वेबसाइट में अपलोड** किये जाने हेतु प्रेषित।
7. गार्ड फाईल।

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद्।

पं०-08 | सं०2923 | दि० 22-11-21 संख्या-1654/XVIII(1)/2021-07(06)/2019

प्रेषक,

डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

I/c Dy. R.C
18/11/21

राजस्व अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांकः 18 नवम्बर, 2021

विषयः- **सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 06 माह के स्थान पर 01 वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2985, दिनांक 18.10.2021, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 06 माह के स्थान पर 01 वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में आपके द्वारा किये गये संशोधित प्रारूप पर शासन की सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णयानुसार राजस्व विभाग के स्तर से निर्गत होने वाले आय प्रमाण पत्रों के संशोधित प्रारूप-1 आय प्रमाण पत्र तथा प्रारूप-2 स्वः घोषणा प्रमाण की प्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संशोधित प्रारूपों के आधार पर अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
(डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव

Genral-Letter doc

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय तहसीलदार द्वारा प्रदत्त
आय प्रमाण पत्र
(वैधता–केवल 01 वर्ष के लिये)

जिला : .....
तहसील: .....

आवेदन पत्र संख्या:
जारी दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु0.....
पुत्र / पुत्री / पत्नी.....
माता का नाम.....
निवासी ग्राम / नगर निकाय क्षेत्र.....
राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र.....
तहसील.....
जिला.....

की सभी स्रोतों से पारिवारिक वार्षिक आय अंकों में रू0.....(शब्दों में).....
.....मात्र रूपये हैं।

उक्त परिवारिक वार्षिक आय, शासनादेश संख्या–302/XVIII/2019-07(6)/2019 दिनांक 07.05.2019 में परिभाषित परिवार की अवधारणा एवं आय के आगणन के आधार पर आगणित की गई है।

यह प्रमाण पत्र राजस्व निरीक्षक / राजस्व उप निरीक्षक.....की जांच आख्या के आधार पर निर्गत किया गया।

तहसीलदार,

p 2019-20

स्व घोषणा प्रमाण पत्र (संशोधित)

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता/पति का नाम..
3. माता का नाम...
4. वर्तमान पता अथवा स्थायी पता
   मकान नं0........................ मोहल्ला/ग्राम........................तहसील....................जिला..........
5. व्यवसाय...............................
6. आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियां (निम्न में से जो लागू हो उन पर सही का चिन्ह लगायें)

   6.1 असंगठित क्षेत्र का मजदूरों हेतु आय रू0......................

   6.2 कृषि भूमि का विवरण.................ग्राम................क्षेत्रफल(है0 में)................आय रू0 में........

   6.3 पेंशन से वार्षिक आय रू0.........................

   6.4 सेवायोजन से वार्षिक आय रू0......................(वेतन पर्ची/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)

   6.5 निजी व्यवसाय (डॉ0 वकील, आर्किटेक्ट, चार्टड एकाउन्टेंट, मध्यम एवं बड़े व्यवसाय) से वार्षिक आय रू0.........................

   6.6 दुकान का वार्षिक किराया मूल्य, व्यापार कर विभाग में दाखिल विवरणी की कुल धनराशि रू0....................................

   6.7 वार्षिक आयकर विवरणी (आई0टी0आर0) के अनुसार वार्षिक आय रू0..........................

   6.8 अन्य स्रोतों से वार्षिक आय रू0 ....

7. परिवार के अन्य सदस्यों की वार्षिक आय का विवरण

   7.1 परिवार की आय का आगणन करने हेतु परिवार में पति–पत्नी अवयस्क एवं अविवाहित वयस्क संतानें तथा आश्रित माता–पिता को सम्मिलित किया जायेगा। इसमें आश्रित का तात्पर्य जिनकी स्वयं की कोई आय न हो और परिवार के साथ रहते हों। आय का आगणन करने के लिए परिवार की समस्त आय को संज्ञान में लिया जायेगा। परिवार की मुखिया की आय और परिवार के अन्य सदस्यों की आय को जोड़ते हुए परिवार की कुल आय के आधार पर आय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता।

   7.2 परिवार के सदस्यों की वार्षिक आय का विवरण

क्र0 सं0	परिवार के सदस्यों का नाम	व्यवसाय	व्यवसाय से आय (वार्षिक)	परिवार की कुल वार्षिक आय (रूपये में)

   7.3 परिवार की कुल वार्षिक आय रू0...

   7.4 क्या पूर्व में प्रमाण पत्र जारी हुआ है.........................हाँ/नहीं

   7.5 यदि हाँ तो उसका कमांक..............................दिनांक.......................आय..................

   7.6 आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है................हाँ/नहीं

   7.7 संलग्नक (आय के सम्बन्ध में साक्ष्य संलग्न करें)

घोषणा

मैं.........................घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त सूचनायें सही है व मेरी स्वयं की जानकारी के आधार पर दी गयी है और मेरे व मेरे परिवार द्वारा जिस श्रेणी/स्रोत से आय अर्जित की जा रही है, उसका उल्लेख कर दिया गया है, इसके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी हूँ। यदि उपरोक्त सूचनाओं में से कोई भी तथ्य गलत पाया गया है तो इसके लिए मेरे विरूद्ध प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

p 2019-20

आवेदक के सदिनांक हस्ताक्षर